

उपायुक्त का-यायालय जामताड़ा ।

अनुसूची 98 2 फारम संख्या ५६२ ।

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 9६४9 का नियम 9२9)

सरकार
बनारस

दोट्टु कुमार उर्फ दोट्टु यादव
स्व. अग्र कृषि

आदेश पत्रक-ता०.....सेतक ।

जिला.....सं०सन्.....

केस का प्रकार.....Confiscation Cases 27/2021-22

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 9	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
-----------------------------------	-------------------------------------	--

21.12.21

पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के पत्रांक-1388/अप०शा० दिनांक-12.11.2021 के द्वारा नारायणपुर थाना कांड संख्या-100/2021 दिनांक-04.09.2021 के प्राथमिक अभियुक्त (01) ट्रक संख्या N.L.02 G-9882 के चालक दोट्टु कुमार उर्फ दोट्टु यादव पे०- सुरेश यादव सा०- चैनपुर थाना- कृपी जिला- अरवल (बिहार) (02) मुन्ना सिंह (03) मोतीउर रहमान (04) ट्रक संख्या- N.L.02 G-9882 के मालिक शारिक अली एवं अग्र के विरुद्ध मल्ल बंधाया गया है, मैं जप्त ट्रक संख्या- N.L.02 G-9882 पर लोड 24 टन अवैध पोड़ा कोयला को अधिग्रहण हेतु आदेश देने की अनुरोध किया गया है।

विपक्षी को सूचना निर्गत करे।
दिनांक 4.2.22 को सहे।

अधिकारी

उपायुक्त
जामताड़ा ।

उपायुक्त
जामताड़ा

4/2/22

पक्षकार सरकार है। दायरी पड़ी है।

D.M.O to Confiscate and
auction as per rules.

X/125

Seen
Approved
Sd/- 04/02/22

पत्रांक-133/अप०शा०
दिनांक-4.2.22